प्रेस विज्ञप्ति

'मध्यप्रदेष में अभियंत्रिकी षिक्षा : चुनौतियॉ एवं संभावनाएँ' विषय पर एक दिवसीय परिचर्चा का आयोजन म.प्र. निजी विष्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल द्वारा आज दिनांक 29. सितंबर, 2014 को माननीय उच्च षिक्षा एवं तकनीकी षिक्षा मंत्री श्री उमाषंकर गुप्ता जी के मुख्य आतिथ्य में किया गया।

कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष डॉ. अखिलेष पाण्डेय, मेपकास्ट के महानिदेषक प्रो.प्रमोद वर्मा, ए.एफ.आर.सी. के अध्यक्ष, डॉ. टी.आर. थापक, संचालक तकनीकी संचालक षिक्षा डॉ. आषीष डोंगरे, सहित ए.टी.पी.आई. के अध्यक्ष श्री सुनील बंसल एवं सचिव श्री सुरेष चौकसे विषेष रूप से उपस्थित थे। इसके साथ साथ कार्यक्रम में निजी विष्वविद्यालयों के कुलपतिगण सहित निजी महाविद्यालयों के 50 से भी अधिक प्रतिनिधियों में षिरकत की जिनके द्वारा मध्यप्रदेष के निजी इंजीनियरिंग संस्थानों में सीटें खाली रहजाने के मुद्दे पर अपने विचारों एवं सुझावों का प्रस्तुतीकरण किया गया।

आयोग के अध्यक्ष डॉ, अखिलेष पाण्डेय ने अपने उद्बोधन मे सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए यह कहा कि अभियांत्रिकी षिक्षा में विकास की बहुत संभावनाएँ है एवं हम सब को मिलकर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि प्रदेष के षिक्षण संस्थाओ में जो भी कमियॉ हों उन्हें दूर कर तथा गुणवत्ता को सुदृढ कर प्रदेष अभियांत्रिकी षिक्षा को नई उचाईयॉ प्रदान की जाए। अपने अन्य सुझावों के साथ यह सुझाव मुख्य रूप दिया कि से चिकित्सा षिक्षा की भॉति तकनीकि षिक्षा में भी सैद्धातिक पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने के उपरांत 'फील्ड ट्रेनिंग' की दृष्टि से 'रेज़िडेंट इंजीनियर' की व्यवस्था प्रचलित की जाए।

माननीय मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसी भी संस्था में प्रवेष का प्राथमिकता का आधार उस संस्था में षिक्षा की गुणवत्ता, फैकल्टी का स्तर तथा संस्था का सकारात्मक माहौल होता है। अतः निजी संस्थाओं को इन बिंदुओ पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने भविष्य में इंजीनियर्स की अपेक्षित आवष्यकता का आकलन करने एवं तदनुसार संस्थाओं में अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम में सीट्स का निर्धारण किये जाने के निर्देष दिये ।

माननीय मंत्री जी ने कहा की ऐसे नवीन पाठ्यक्रम बनाए जाएँ जो विद्यार्थियों को रोजगार के योग्य बनाए, इसलिए आवष्यक है कि संस्थान उद्योगों के साथ 'लिंकेज' बनाएँ एवं उनकी आवष्यकता के अनुरूप ''वर्कफोर्स'' तैयार करें। आपने यह भी कहा की स्कूल मे ही बच्चे के अभिरूचि का परिक्षण किया जाकर उसके अनुरूप ही उन्हे पाठ्यक्रम लेने हेतु काउंसलिंग की जाए एवं इस हेतु पालको को भी विष्वास में लिया जाए। रोज़गारों तथा कार्य–कौषल्य की परंपरागत विषेषज्ञता के संरक्षण की आवष्यकता निरूपित करते हुए माननीय मंत्री जी ने इससे संबंधित व्यक्तियों के 'सर्टीफिकेषन' की आवष्यकता पर बल दिया।

आप ने कहा कि किसी भी संस्थान के सर्वोत्तम प्रवक्ता उसमें अध्ययनरत विद्यार्थी है जिनकी 'माउथपब्लीसिटी' की संस्थाओ को लोकप्रिय बनाती है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए संस्थाओं को अपनी गुणवत्ता पर ही केन्द्रित करनी चाहिए।

माननीय मंत्री जी ने कहा की यह तो एक प्रारंभ है एवं उनकी सोच एवं चिन्ता केवल शासकीय संस्थाओं तक सीमित नही है एवं यह भी कहा कि निजी संस्थाएँ भी अंततोगत्वा राज्य का ही संसाधन है अतः उनका समुचित उपयोग सुनिष्चित करना भी वे अपना दायित्व समझतें है। आपने आष्वस्त किया कि निजी संस्थाओं की इस संबंध में जो भी कठिनाइयॉ होंगी उनका निराकरण किया जाएगा साथ ही उनके सुझावों को भी नीतिनिर्धारण करते समय विचार में लिया जाएगा।

कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण एवं संचालन आयोग के अकादमिक सदस्य डॉ. व्ही.के. शुक्ल द्वारा किया गया तथा आभार प्रदर्षन आयोग के ओ.एस.डी. डॉ. मुकेष जैन ने किया।

भवदीय

(डॉ. पी.के.खरे)
सचिव

श्री मान संपादक महोदय
अपने लोकप्रीय दैनिक .....
में प्रकाषनार्थ